جون ۲۰۱۲ء

ماہنامہ

شعاع عمل لکھنؤ

قَالَ اللّٰهُ تبارَکَ وَتعَالیٰ قَدْ جَاءَ کُمْ مِنَ اللّٰهِ نُورٌ وَ کِتَابٌ مُبِيْنٌ

بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا ہے اور روشن کتاب

یا عباس



موسسۂ نور ہدایت، حسینیہ غفرانمآبؒ، چوک، لکھنؤ۔۳

R.N.I. No. UPBIL/2004/13526
Postel Regd.No. SSP/LW/NP-75/2011-13 Dispatch Date: 2 & 6 of Every Month

SHUA-E-AMAL

Lucknow

शुआ-ए-अमल

हिन्दी, उर्दू मासिक पत्रिका लखनऊ

JUNE 2012





NOOR-E-HIDAYAT FOUNDATION
Imambara Ghufran Maab, Chowk, Lucknow-3 (U.P.) INDIA, Ph.:0522-2252230

बिस्मेही तआला

वर्ष 8 — अंक 12

नूरे हिदायत फ़ाउण्डेशन की

इस्लामी, ज्ञान व शोध

हिन्दी, उर्दू मासिक पत्रिका

जून 2012

शुआ-ए-अमल

"लखनऊ"

न्यास संस्थापन

15 जमादिलऊला 1424 हि० / 16 जुलाई 2003 ई०

पत्रिका विमोचन

15 जमादिलऊला 1425 हि० / जुलाई 2004 ई०

मिलने का पता

नूरे हिदायत फ़ाउण्डेशन

इमामबाड़ा हज़रत ग़ुफ़रानमआब, मौलाना कल्बे हुसैन रोड, चौक, लखनऊ - 3

Phone No: 0522-2252230 — 0522-4062731 Mobile No: 09335276180 — 09335996808

सै. कल्बे जवाद नक़वी प्रिन्टर, पब्लिशर और प्रोपराइटर ने मासिक शुआ-ए-अमल (उर्दू, हिन्दी) निज़ामी आफ़सेट प्रेस विक्टोरिया स्ट्रीट लखनऊ से छपवाकर आफ़िस नूरे हिदायत फ़ाउण्डेशन इमामबाड़ा ग़ुफ़रानमआब मौलाना कल्बे हुसैन रोड लखनऊ-3 से प्रकाशित किया। सम्पादक : सै० मुस्तफ़ा हुसैन नक़वी 'असीफ़ जाएसी'।

Per copy 20/- Annual 200/-



R.N.I. No.
UPBIL/2004/13526



Postal Regd. No.
SSP/LW/NP-75/2008-10



WEBSITE:
www.noorehidayatfoundation.com
www.al-ijtihaad.com



E_mail:
noorehidayat@yahoo.com
noorehidayat@gmail.com

वार्षिक अंशदान

1- यूरोप, अमरीका, कनाडाः
80 अमरीकी डालर
2- ख़लीजी मुमालिकः
60 अमरीकी डालर
3- एशिया, पाकिस्तानः
40 अमरीकी डालर
4- पाकिस्तान ज़मीनी डाकः
20 अमरीकी डालर

लाइफ़ मेम्बरशिपः 4000/-

विषय सूची

जून 2012ई०

रजबुल मुरज्जब 1433हि०

ज़िन्दगी का सिस्टम

आयतुल्लाहिलउज़्मा सैय्यिदुलउलमा सै० अली नक़ी नक़वी ताबा सराह
सम्पादनः नूरे हिदायत फ़ाउन्डेशन

क़िस्त-2

अमीरुल मोमिनीन[अ०] की रवायत है कि रसूल[स०] ने फ़रमाया-

''अपनी औलाद को तैराकी और तीर चलाना सिखाओ।'' यह वे चीज़ें है जो दुनिया की ज़िन्दगी की हिफ़ाज़त का साधन है। यहाँ इन दोनों चीज़ों का बयान मिसाल की तरह है। ''तीर के बजाय अगर किसी वक़्त में कोई इसका दूसरा रूप आ जाए (प्रचलित हो जाए) तो उसकी शिक्षा का निर्देश होगा। इसी तरह तैरने की तरह अगर नाव का रिवाज हो जाए तो नाव चलाना भी इसमें आ सकता है। यह चीज़ें दुनिया के लिए हैं और इस्लाम दुनियावी ज़िन्दगी के कसबल बढ़ाने के पक्ष में है। यहाँ इन सब चीज़ों को अजीब समझ लिया गया है या तक़्वा (संयम) और परहेज़गारी के ख़िलाफ मान लिया गया हैं यह सोच बिल्कुल ग़लत है। बच्चा जब इस सात बरस में अच्छे चाल-चलन और अच्छी बातों का आदी हो गया और ऐसी तालीम भी उसको दे दी गई जो उसकी दुनिया और आख़ेरत (परलोक) दोनों की भलाई के लिए ज़रूरी हैं तो अब वह वक़्त है कि उसको दुनिया की कठिनाइयों को हल करना Practically सिखाया जाए। अब बाप उसको ज़िन्दगी के एक सहायक की तरह अपने अच्छे कामों और कठिनाइयों के हल करने में साथ ले और उसके क़वाय अ़मल को पूरा करें।

इसको अमीरुल मोमेनीन[अ०] फ़रमाते हैं कि, ''सात बरस तक बच्चे को आराम देना चाहिये फिर सात बरस तक उसके एख़लाक और आदतों का सुधार करना चाहिए, फिर सात बरस तक इससे काम लेना चाहिए।''

इसको रिसालत मआब[स०] ने बहुत ज़्यादा सटीक तरह फ़रमाया है, ''बच्चा सात बरस तक बादशाह है यानी जो चाहे करे, कोई रोक-टोक नहीं, फिर सात बरस दास है, (इसलिए कि अभी उसमें इतनी समझ नहीं कि वह अच्छाई-बुराई समझ सके मगर ना चाहते हुए भी सिर्फ़ बाप के दबाव से वह उसके बताये हुए कामों को करेगा, यह उस तरह का कहना मानने पर मजबूर करना है, जैसे गुलाम अपने मालिक का कहना माना करते हैं) फिर उसके बाद सात बरस, यानी पंद्रह (15) से इक्कीस (21) साल तक, वह वज़ीर है, यानी उसमें अब खुद अक़्ल आ गई है। अब वह खुद समझ कर बाप का बोझ बंटा कर ज़िंदगी की मंज़िलों को तय करेगा। बादशाह के लिए वज़ीर ऐसा ही होता है।

ग़लत शिक्षा के दुख भरे नतीजे (रिज़ल्ट)

नुकसान देने वाले Germs से हिफ़ाज़त की ज़रूरत

बच्चों को शुरू ज़िंदगी से ही मारक विषाणुओं (Germs) से बचाय रखना बहुत ज़रूरी फर्ज़ है। यह देखा जाता है कि इधर बच्चे की उम्र आगे बढ़ी और ज़रा अक़्ल आयी तो उसे दीनियात की शिक्षा दिलाए बिना स्कूल या कालेज भेज दिया गया। वहां के टीचर जो अपने दिमाग़ में मज़हब के ख़िलाफ़ ख़याल लिए हुए होते हैं वह बच्चों पर शुरू से ही अपना असर डालते हैं। हो सकता है कि क़ानून की वजह से वह खुल्लम खुल्ला अपने विचारों के प्रचार का स्कूल के अन्दर हक़ न पायें मगर उनके दिली जज़्बों और दिमाग़ के ख़यालों का असर उनके काम और उनके बयान पर पड़ना ज़रूरी है। किसी मज़हबी हुक्म के सुनने पर दबी हुई मुस्कान, किसी

मज़हबी विश्वास के बयान में यह शब्द कि "लोग ऐसा ख़याल करते है" यह वह मामूली बातें हैं जो न जाने कितने स्टूडेन्ट्स (विद्यार्थियों) के ज़ेहन पर असर डालती हैं। फिर स्टूडेन्ट (विद्यार्थी) अपने शुरूआती दौर में अपने टीचरों को लगभग मासूम समझता है। वह उनकी हर बात को सर आँखों पर रखने के लिए तैयार रहता है। नतीजा यह होता है कि उसके दिमाग़ में मज़हब के ख़िलाफ़ विचार बैठ जाते हैं और वह समझता है कि ये सारे विश्वास और परम्परायें ख़ुराफ़ात और अन्धविश्वास के अलावा कुछ नहीं है। अब अगर आप उसका मज़हबी सुधार करना भी चाहें तो नहीं होगी, इसलिए कि वह सुनने को तैयार ही नहीं होगा और सुनेगा भी तो इस ख़याल से कि यह बातें बिलकुल बकवास है इसलिए उस पर कोई असर नहीं होगा। याद रखना चाहिए कि अंग्रेज़ी शिक्षा पूरी तरह गुमराही की पूरी वजह नहीं है, बल्कि यह तरबियत का ग़लत तरीक़ा गुमराही की वजह है।

अगर मज़हब की बुनियादें मज़बूत हो गई होती तो बड़े-बड़े शक और ऐतराजों को वह सहन कर लेती मगर यहां तो मज़हब की बुनियाद ही मज़बूत नहीं है क्योंकि या तो मज़हबी मालूमात हैं ही नहीं या हैं तो सिर्फ़ लकीर के फ़क़ीर जैसी, इसलिए मामूली सा ऐतराज़ जो किसी वर्ग, फ़िरक़े से इसके कान में पहुंचता है तो इसके विश्वास को डांवा-डोल कर देता है।

मासूमों[अ०] के बयानों में इसकी तरफ़ इशारा मिलता है जबकि उस ज़माने में पश्चिमी शिक्षा (Western Education) नहीं थी, अंग्रेज़ी स्कूल नहीं थे, मगर दूसरी बहकाने वाली पार्टियाँ ऐसी थीं जिनको देखते हुए यह ज़ोर दिया गया है कि तुम अपनी शिक्षा बच्चों के ज़ेहन में बैठा दो कहीं ऐसा न हो कि दूसरों का असर इन पर पहले पड़ जाये और फिर इनमें सत्य को क़ुबूल करने की सलाहियत बाक़ी न रह जाये।

इमाम जाफ़रे सादिक़[अ०] फ़रमाते हैं, "अपने बच्चों को अपनी बात, परम्पराएं और विश्वास सिखाने में जल्दी करो इससे पहले कि दूसरे फ़िरक़े के तालीमात (शिक्षा) उनकी तरफ़ पहल करें।"

जनाब अमीर[अ०] का कहना है, "अपने बच्चों को हमारे इल्म ज्ञान सिखाओ जिससे इनको फ़ायदा पहुँचे, कहीं ऐसा न हो कि मरजिया के विश्वास इनको दबा लें।"

अमीरुल मोमिनीन[अ०] ने अपने सुपुत्र इमाम हसन[अ०] के लिए जो वसीयत लिखी है वह ज़िन्दगी के सभी क्षेत्रों हिस्सों के लिए निर्देशों का एक घोल है, उसकी शुरुआत में हज़रत[अ०] ने हमें हमेशा वाला पाठ देते हुए यह फ़रमाया है जो ज़ाहिर में मुख़ातिब इमाम हसन[अ०] को किया गया है, मगर असल में इसमें सबके लिए एक आम शिक्षा का मक़सद है- फ़रमाते हैं, मैने कुछ वजहों से तुम तक इस वसीयत के पहुँचाने में जल्दी से काम लिया है, 'पहले तो यह कि कहीं मेरी ज़िन्दगी का वक़्त ख़त्म न हो जाए' मौत का कोई ठीक नही है।

इसके बाद फ़रमाते है, "और यह कि कहीं तुम पर पहले ही कुछ ग़लत ख़्यालात और दुनिया के हंगामों का असर हावी न हो जाए जिससे तुम एक ढीट और भड़कने वाले घोड़े की तरह हो जाओ, छोटे बच्चे का दिल ख़ाली ज़मीन की तरह होता है, जो चीज़ उसमें बोई जाए उसको वह क़ुबूल कर लेता है लेहाज़ा मैने चाहा कि तुम्हें बता दूँ सिखा दूँ, इससे पहले कि तुम्हारा दिल ढीट हो और तुम्हारी अक़्ल दूसरी बातों में पड़ जाय।"

बेशक ऐसे बाप, चचा या दूसरे बुज़ुर्गों पर जितना भी एतराज़ हो कम है जो अपने से मुताल्लिक़ बच्चों को अजनबी गोद में और ज़हरीली हवा में बग़ैर किसी हिफ़ाज़त के भेज देते हैं। ये लोग बाद में ख़ुद पछतायेंगे, जब वह देखेंगे कि उन बच्चों के दिल में बड़े होने के बाद इनका कोई आदर सम्मान नहीं रहा। वह उन्हें बुद्धू समझने लगे, ओर उनका मज़ाक उड़ाने लगे। यह बातें कभी न होतीं अगर वह पहले ही उनको सही शिक्षा दे देते। बहुत मुमकिन है कि यह लड़के जब बड़े हों और उनकी अक़्ल जगे और उनकी आखें खुलें तो इन बुज़ुर्गों को दिल ही दिल में कोसें, कि उन्होंने हमारे साथ कोई सही बरताव नहीं अपनाया।

हदीस में है, "रसूल[स०] ने फ़रमाया कि माँ-बाप अपनी औलाद के हक़ के लेहाज़ से उसी तरह आक़ होते हैं जिस तरह औलाद अपने माँ-बाप के हक़ पूरे न करने से।"

बात यह है कि "आक़" के मानी तो 'बेकहे' के हैं बाप का कहना मानना, आज्ञापालन ख़ुदा ने औलाद

पर वाजिब (अनिवार्य) किया है। इसलिए अगर वह उनके कहे पर न चले तो 'बेकहा' है। यह जो आमतौर पर कहा जाता है कि किसी बाप ने अपनी औलाद को आक़ कर दिया, इसके कोई मानी नहीं हैं, अगर वह बाप के कहने में नहीं है तो आक़ है चाहे यह बाप न कहे कि मैने आक़ कर दिया और अगर वह आज्ञाकारी है तो बाप लाख किसी के कहने सुनने से इसको आक़ करना चाहे वह आक़ नहीं होगा। फिर इसी तरह ख़ुदा ने औलाद की शिक्षा व तरबियत के जो कर्त्वय बाप के लिए रखे हैं अगर वह उनको पूरा न करे तो वह भी 'बेकहा'/'द्रोही' है, इसलिए वह भी ''आक़'' के मानी में आ जाता है।

सिखाने के ठीक और उचित उसूल

औलाद की तरबियत बड़ी मुश्किल और नाज़ुक चीज़ है। बरताव की छोटी-छोटी आम कमियाँ (अशलीलतायें) लड़कों के चाल-चलन के ख़राब होने की वजह बन सकती हैं।

इमाम मूसा काज़िम[अ०] फ़रमाते हैं, ''जब बच्चों से कोई वादा करो तो उसे पूरा करो।''

अगर माँ-बाप वादा करके उसे तोड़ते हैं तो बच्चों के दिमाग़ पर यह असर पड़ सकता है कि झूठ बोलना या वादा तोड़ना कोई बुरा काम नहीं है इसलिए वह अपनी आने वाली ज़िंदगी में इस जुर्म की कोई अहमियत नहीं समझेंगे। बेशक बाप की शिक्षा दीक्षा अपनी औलाद के लिए इतनी रूख़ी नहीं होनी चाहिये, जैसे एक कालेज का टीचर स्टूडेन्टस (विद्यार्थी) के लिए उसको उतने वक़्त में सिर्फ़ पढ़ा देने से मतलब होता है और कुछ नहीं। बच्चों को सिखाने में कड़ाई के साथ प्यार दया दिखाने की ज़रूरत है। शरीयत जो नेचुरल ज़िन्दगी बनाना चाहती है वह इसे ख़ास महत्व देती है। वह यह नहीं चाहती है कि आप अपनी औलाद के सामने त्योरियों पर बल डाले रहें और हमेशा उनसे डांट डपट ही कर बात करें, बल्कि कभी-कभी प्यार मुहब्बत को भी ज़ाहिर कीजिये और यह वह चीज़ है जिसमें अपने आपका दबदबा, गम्भीरता और शलीलता की भी हदें तजना पड़ती हैं। बच्चों को प्यार करना, नर्मी से काम लेना उनसे घुलना मिलना एक तरह की इबादत, पूजा, भक्ति है।

रसूलल्लाह[स०] की हदीस है, ''जो अपने बच्चे को प्यार करता है ख़ुदा एक पुण्य नेकी उसके खाते में लिख देता है'' रसूल[स०] से बढ़कर दुनिया में किसकी महिमा होगी मगर आप[स०] ख़ुद बच्चों के साथ जो तरीक़ा अपनाते थे उसके इतिहास व हदीस दोनो गवाह हैं। कुछ अहमवादी (Egoistic) और घमंडी लोग उस वक़्त भी उस पर ऐतराज़ करते थे और बहुत से लोग उस समय भी दबी ज़बान से कहते हैं कि यह चीज़ें महानता के ख़िलाफ़ हैं मगर यह लोग 'स्वयं' की अज़मत (बलन्दी) का सही पैमाना नहीं जानते। हर चीज़ का एक वक़्त होता है और कभी मौक़ा होता है कि इंसान अपने से ख़ुद अपने बड़कपन से नीचे उतरे। बच्चों के सामने दबदबा और भारीपन बनाये रखना मानवता के उसूल के ख़िलाफ़ है।

रवायत में है कि, ''रसूल[स०] अपने दोनों नवासों इमाम हसन[अ०] और इमाम हुसैन[अ०] को प्यार कर रहे थे, अक़रा बिन हाबिस ने (ये नज्द के अमीरों में से था) कहा कि मेरे तो दस बेटे हैं, मैने कभी किसी को प्यार नहीं किया। हज़रत[स०] ने फ़रमाया कि जिसके दिल में शफ़क़त (बड़ों की ओर से छोटों के लिए प्यार और मोहब्बत) और मेहरबानी न हो वह ख़ुद मेहरबानी के क़ाबिल नहीं है।''

बच्चों के साथ ये तरीक़ा भी अपनाना ग़लत है कि शुरू से हर बात में उनको डराया जाय और दहशत दिलायी जाए। ''हव्वा'' ''जू-जू'' और ''बी शादी'' वग़ैरह के नामों से बिला वजह डराना बिल्कुल पालने सिखाने के उसूल के ख़िलाफ़ है। इसी तरह यह तरीक़ा कि बच्चों को सन्नाटे वाली जगह पर न जाने दिया जाये, मुर्दो से अलग हटाया जाए मुर्दों का चेहरा न देखने दिया जाए यह सब तरीक़े ग़लत हैं। ऐसे लोग अपने बच्चों को उनकी आने वाली जिंदगी में कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार नहीं करते बल्कि उनके अन्दर कमज़ोरी पैदा करते हैं । यह चीज़ अरब में नहीं थी। इसलिए हदीसों में इसका बयान नहीं मिलता बेशक (आपके) यहां के उलेमा और धर्म-नेताओं को इसका एहसास था। लेहाज़ा 'ताजुल उलेमा' ने लिखा है कि हमारे पिताश्री जनाब 'सुलतानुल उलेमा' (ताबासराह) हमको बचपन से ख़ासतौर

पर मुर्दों की भयानक सूरतें देखने की आदत डलवाते थे लेहाज़ा किसी जगह कुछ डाकू मारे गए और उनके सर वहां से भेजे गए (क्योंकि उस ज़माने में फ़ौजदारी और दीवानी कचहरी सब 'सुल्तान उल उलेमा' के अधिकार में थी) तो वह सर एक दिन तक हमारे पलंग के पास रखे रहे, यह सब इसलिए था कि डर दिल से निकले और बच्चे में ऐसे दृश्यों के देखने से रोब और दहशत न पैदा हो।

इल्म ज्ञान पाने की अहमियत और इल्म की शरयी हदें

शिक्षा इंसान की ज़िन्दगी के लिए ज़रूरी चीज़ है। और इस्लाम ने इल्म की अहमियत पर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया है। इसी सिलसिले में ज़रूरत है कि इल्म की शरयी हदों को बयान कर दिया जाय। हदीस में है -

''इल्म का हासिल करना (जानना) हर मुसलमान का फ़र्ज़ है।'' इसमें हदीस के आख़िर में *''व मुस्लेमा''* का टुक्ड़ा भी लोगों की ज़बान पर चढ़ गया है और यह बिल्कुल अलग का है, असली हदीस में ये टुकड़ा नहीं है।

इसके साथ कुरान मजीद में है, ''वह जो लोग जानते हैं, और जो लोग नहीं जानते वे बराबर नहीं है।''

कुछ लोग इस तरह की आयतों व हदीसों को लेकर यह तर्क देते हैं कि इसमें किसी 'ख़ास' ज्ञान की क़ैद नहीं है। इसलिए हर ज्ञान का पाना शरीअत की चाह होगी, और इन्सान का मज़हबी फ़र्ज़ मान लिया जायेगा। क्या सचमुच यह दलील ठीक है?

ज्ञान के माने डिक्शनरी में 'जानने' ही के हैं लेकिन क्या हर चीज़ का जानना हर इन्सान के लिए अच्छाई की वजह बन सकता है? अगर ऐसा ही हो तो दुनिया में जानने वाले और अनजान में फ़र्क़ करना ही बेकार है, क्योंकि हर इंसान को अपने मैदान में कुछ ख़ास जानकारी होती है जो दूसरों को नहीं है। एक जंगल में रहने वाला फ़क़ीर जंगल की बहुत सी चीज़ों को जानता है जो बड़े फ़्लास्फ़रों को नहीं मालूम, और नदी में सफ़र करने वाला नाविक नदी और उसके टापुओं से जुड़ी हुई चीज़ों की बहुत सी जानकारी रखता है। एक किसान ज़मीन में बोने-जोतने के राज़ जानता है, लोहार लोहे की ख़ासियतों (विशेषताओं) और हालतों से जुड़ा ज्ञान रखता है और हर इंसान अपने बाप-दादा (पूवर्जों) और ख़ास अपने घर से जुड़ी बहुत सी बातों को जानता है जो किसी दूसरे को मालूम नहीं है। अगर यही जानना सिर्फ़ ज्ञान का पैमाना हो तो फिर जाहिल का अस्तित्व ही बाक़ी नहीं रहता। ऐसे में ये कहना कि आलिम और जाहिल बराबर नहीं हैं एक बेमतलब की बात है, क्योंकि यहाँ जाहिल की क़िस्म तो सिरे से पाई ही नहीं जाती।

मालूम होता है कि यहाँ आम और हर ज्ञान के बारे में बात नहीं हो रही है बल्कि इसके लिए परिभाषिक माने रखे गये है और यहाँ किसी ख़ास ज्ञान की बात हो रही है। अब हमको ज़रूरत है कि हम इस परिभाषिक माने को समझने की कोशिश करें या ज्ञान की ख़ास क़िस्म का पता लगाएं जो असली मक़सद है।

इसके लिए जब हम अक़्ल से काम लेते हैं तो मालूम होता है कि उस चीज़ का जानना इंसान के लिए तारीफ़ के लायक़ है जो काम की हो। लेकिन 'काम की' की क़िस्में हर इंसान के हिसाब से बदल जाती हैं। एक किसान उसी चीज़ का जानना समझेगा जो उसके क्षेत्र से जुड़ा है। एक डाक्टर उसे काम का समझेगा जो उसके मतलब की चीज़ है और चूंकि यहां नज़रिए के सही और ग़लत होने से बहस नहीं है इसलिए यह भी कहूं कि 'मुग़न्नी' गाने बजाने वाला उस चीज़ को काम का कहेगा जो उसके शौक़ से जुड़ा है। ज्ञान का मेयार (Lrj standard) यही है तो अब शरीयत में भी उसी चीज़ को ज्ञान कहा जाएगा जो शरीयत के नज़रिए से काम का हो।

अब देखिये कि शरियत का नज़रिया क्या है, इंसान के विश्वास और कर्म को पूरी तरह सँवारना लेकिन इस आरास्तगी सँवारने के दर्जे हैं। एक दर्जा वह है जो हर इंसान के लिए ज़रूरी है और उस से किसी को छूट नहीं है। इससे जुड़ा ज्ञान भी वाजिब (ज़रूरी) होना चाहिए और दूसरा दर्जा वह है जिस तक पहुंचना अच्छा है। इससे जुड़ा ज्ञान भी ऐसा ही होगा। और कुछ काम वह हैं जो खुद इंसान के लिए 'जायज़' की हद में हैं यानि न उस काम को करने की कोई ख़ास अहमियत (महत्व) और न उसके छोड़ने की, इनका इल्म भी उस हैसियत से जायज़ और मुबाह की हैसियत रखता होगा, यानि न वह वाजिब होगा और न मुस्तहब। **(जारी)**

इस्लाम और इंसानी हुक़ूक़

क़ाएदे मिल्लत मौलाना सै० कल्बे जवाद नक़वी, जनरल सेक्रेट्री मजलिस उलमा-ए-हिन्द
अनुवादकः सैय्यद सुफ़यान अहमद नदवी

(28)

पिछली क़िस्तों में यह बात साबित की गई कि इस्लामी सज़ाओं में मुआफ़ कर देने पर ज़्यादा ज़ोर है। एक शख़्स ने हज़रत अली[अ०] के सामने चोरी का इक़रार किया। हज़रत अली[अ०] ने उस से सवाल किया कि क्या तुम क़ुरआन पढ़ सकते हो? उसने जवाब दिया कि सूरए बक़रा मुझे याद है। फ़रमाया, तिलावत करो। उस मुजरिम ने सूरए बक़रा की तिलावत करना शुरु की। इमाम[अ०] सुकून से उसकी तिलावत सुनते रहे। जब वह सूरए बक़रा की तिलावत मुकम्मल कर चुका तो आपने फ़रमाया, जाओ, तुम आज़ाद हो, तुम्हें सूरए बक़रा की ख़ातिर मुआफ़ कर दिया। (तहज़ीबुल अहकाम, शेख़ तूसी, जि-1 पेज-129) अगर किसी को सज़ा मिल भी जाती थी तो उसके साथ बहुत नर्मी का सुलूक होता था। कुछ ऐसे लोग इमाम के सामने लाए गये जिनके हाथ चोरी के जुर्म में काट दिये गये थे। आप ने उनके साथ नफ़रत का रवैय्या नहीं दिखाया, बल्कि अपने गुलाम कंबर से कहा इनको मेरा मेहमान रखो, इनके ज़ख़्मों का इलाज करवाओ और जब इनके ज़ख़्म ठीक हो जाएं तो मुझे इत्तेला दो। जब उनके ज़ख़्म ठीक हो गये तो गुलाम कंबर ने मौला को इत्तेला दी। आप ने हुक्म दिया इनमें से हर एक को दो नये लिबास अता किए जाएं। जब उन्हें नये लिबास पहना दिये गये तो वह सब इमाम के सामने लाये गये। इमाम ने फ़रमाया, अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ़ उठाओ और कहो कि अली[अ०] ने हमारे हाथ काटे हैं। उन्होंने आसमान की तरफ़ हाथ उठाकर फ़रमाया, "पालने वाले तेरी किताब और तेरे पैग़म्बर की सुन्नत को पूरा करने में अली[अ०] ने यह काम किया है। इसके बाद इमाम[अ०] ने फ़रमाया, सबको इनके वतन में पहुँचने के लिए सफ़र का पूरा ख़र्च दिया जाए। इस वाक़िए से यह अंदाज़ा होता है कि सज़ा देना अदालत के हिसाब से है, मगर सज़ा देने का मतलब हरगिज़ नहीं कि सज़ा पाने वाले लोग बर्बाद हो जाएं और दोबारा समाज का हिस्सा न बन सकें कि जिसको देहात की ज़बान में टाट बाहर होना कहा जाता है। इमाम[अ०] का मुजरिमों के साथ यह सुलूक साबित करता है कि इमाम चाहते हैं कि यह सज़ा पाने वाले लोग दोबारा समाज का फ़ायदेमंद हिस्सा बन जाएं और एक अच्छे मुसलमान की तरह ज़िंदगी गुज़ारें। इस्लाम में क़ैद ख़ाने और जेल जहाँ मुजरिम को सज़ा देने का ज़रिया हैं वहीं उनकी तरबियत और सुधार का ज़रिया भी हैं। कुछ तारीख़ लिखने वालों का ख़याल है कि तारीख़ में सबसे पहले हज़रत अली[अ०] ने सुधार करने वाले क़ैदख़ाने का ख़याल पेश किया और उसकी बुनियाद डाली। आपके ज़माने में जेल में क़ैदियों को इबादत करने की पूरी आसानी दी गई थी। क़ुरआन मजीद का पढ़ाया जाना, लिखना-पढ़ना और दूसरे उलूम हासिल करने के मौक़े हुकूमत की तरफ़ से दिये जाते थे। आपके ज़माने में दो मशहूर क़ैदख़ाने थे जिनके नाम 'नाफ़े' और 'मख़ीस' थे। जहाँ क़ैदियों को तालीम हासिल करना ज़रूरी था और क़रीबी रिश्तेदारों की ज़मानत पर क़ैदियों को जुमे की नमाज़ पढ़ने की इजाज़त थी।

इस्लाम में इस्लामी क़ानूनों को तोड़ने वाला मुजरिम है, मगर ज़रूरी नहीं कि हर जुर्म के सिलसिले में मुजरिम को ज़रूरी तौर पर सज़ा दी जाए। मज़हब और दीन से हटकर अगर इंसानी समाज को भी देखा जाए तो वहाँ भी यही तरीक़ा चल रहा है। अगर कोई

मुजरिम किसी की इज़्ज़त पर हमला करता है तो उसे समाज में बहुत ही नफ़रत की निगाहों से देखा जाता है और लोग चाहते हैं कि उसे सख़्स से सख़्त सज़ा मिले, लेकिन अगर किसी ने कोई छोटी चोरी या कोई मामूली सा जुर्म किया है तो समाज सज़ा पर ज़ोर नहीं देता। इसी तरह से इस्लामी हुकूमत और शरई हाकिम का रवैय्या भी हर जुर्म के मुक़ाबले में एक ही जैसा नहीं होता। जैसा कि पहले भी इशारा हो चुका कि जो जुर्म अल्लाह के हुक्म से जुड़े हैं और सज़ा देने और माफ़ करने का इख़्तियार इस्लामी हाकिम को है, वहाँ हाकिम मुजरिम की तौबा को काफ़ी समझता है और माफ़ कर देने को बढ़ावा दिया जाता है। इसी तरह से अगर किसी एक का बर्बाद हुआ है तो वहाँ भी उसको माफ़ कर देने के लिये कहा गया है, लेकिन मुआमला अगर आम लोगों के माल का और समाज के हक़ों (पब्लिक फंड और पब्लिक प्रापर्टी) का है तो वहाँ इस्लाम कोई रिआयत नहीं करता।

नहजुल बलाग़ह के खुतबों और ख़तों से साबित होता है कि हज़रत अली[अ०] ने पहले तो अपनी हुकूमत के अरकान को सख़्ती से ईमान दारी दिखाने पर ज़ोर दिया और इस ज़ोर देने के बाद भी अगर हुकूमत के किसी ओहदेदार ने बेईमानी की तो इमाम[अ०] ने उसे माफ़ नहीं किया है। मालिक अश्तर के नाम अपने मशहूर ख़त में आपने लिखा, ''अपने काम करने वालों पर गहरी नज़र रखना। अगर उनमें से कोई चोरी की तरफ़ हाथ बढ़ाए तो और तुम्हारे जासूसों की ख़बर उसके बारे में एक ही जैसी हो तो उस गवाही पर बस करना। उस चोरी करने वाले को जिस्मानी सज़ा देना और जो कुछ उसने बेईमानी से इकटठा किया है उसे वापस ले लेना। उसे ज़लील समझना, उसे बेइज़्ज़त करना और शर्म और बेइज़्ज़ती का हार उसके गले में डाल देना।'' (नहजुल बलाग़ह, मकतूब 53) बैतुलमाल में चोरी इमाम को किसी हाल में बर्दाश्त न थी, जब आप ने पिछला सारा माल और सामान चोरों से लेकर हक़दारों तक पहुँचा दिया तो फ़रमाया, ''अल्लाह की क़सम अगर मुझे ऐसा माल भी कहीं नज़र आता जो औरतों, मेहर और कनीज़ों को ख़रीदने में ख़र्च किया गया तो मैं उसे भी वापस ले लेता, क्योंकि इंसाफ़ ही से समाज को बढ़ोत्तरी मिलती है। जिसे इंसाफ़ से तंगी होती है उसे ज़ुल्म से और ज़्यादा तंगी महसूस होगी।'' (नहजुल बलाग़ह, खुतबा 15)

हज़रत अली[अ०] को ख़बर हुई कि उनकी तरफ़ से तैय किये गये एक ओहदेदार ने बैतुलमाल में चोरी की है तो आप ने उसे तहरीर फ़रमाया, ''अल्लाह से डरो और लोगों का माल उन्हें वापस कर दो। अगर तुम ने ऐसा न किया और फिर अल्लाह ने मुझे तुम पर क़ाबू दे दिया तो मैं तुम्हारे बारे में अल्लाह के सामने अपने को ऊँचा रखूँगा और अपनी इस तलवार से तुम्हें चोट लगाऊँगा। जिसका वार मैंने जिस किसी पर किया वह सीधा जहन्नम में गया। खुदा की क़सम अगर हसन[अ०] और हुसैन[अ०] भी यह करते जो तुम ने किया है तो मैं उन से भी कोई रिआयत न करता और न वह अपनी कोई चाहत मुझ से मनवा सकते, यहाँ तक कि हक़ को उनसे वापस ले लेता।'' (नहजुल बलाग़, खुतबा 41)

(जारी)

(बशुक्रिया रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा (उर्दू), 18 मई 2012[ई०])

शेष... रोज़ा...रूह की ग़िज़ा

सहाबियों को बुलाते गए, जब थाल ख़ाली हो जाता तो उसे फिर रोटी के टुकड़ों और सालन से भर देते थे। रिवायत में है कि एक हज़ार मुसलमानों ने पेट भरकर खा लिया। (बिहारुल अनवार)

इस वाक़िए को बताने का मक़सद ये है कि अल्लाह के रसूल[स०] ने सिर्फ़ एक नज़र उस बरतन में डाली जिसमें सालन पक रहा था, सिर्फ एक नज़र उस तंदूर में डाली, जिसमें रोटियाँ पक रही थीं तो इतनी बरकत पैदा हो गई तो अगर अल्लाह के रसूल[स०] किसी चीज़ पर नज़र डालें तो उसमें इतनी बरकत पैदा हो जाती है तो वह मुबारक रमज़ान जो खुद अल्लाह तआला के इनामों का ख़ास केन्द्र है उसमें कितनी बरकत होगी। अब इस से ज़्यादा बरकत और क्या होगी कि दूसरे दिनों में अगर क़ुरआन मजीद की एक आयत पढ़ी जाए तो सिर्फ़ एक आयत का सवाब है, मगर इस मुबारक महीने में एक आयत के पढ़ने में पूरे क़ुरआन मजीद का सवाब है, जिसमें छः हज़ार से ज़्यादा आयतें हैं, यानी छः हज़ार गुना से ज़्यादा सवाब। इसी को बरकत कहते हैं। दुआ है कि इस मुबारक महीने में अल्लाह तआला हमारे और सारे मोमिनों के रोज़े और दूसरी इबादतें भी कुबूल फ़रमाए। आमीन

(बशुक्रिया रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा (उर्दू), 27 अगस्त 2010[ई०])

रोज़ा ... रूह की ग़िज़ा

क़ाएदे मिल्लत मौलाना सै० कल्बे जवाद नक़वी, जनरल सेक्रेट्री मजलिस उलमा-ए-हिन्द
अनुवादकः सैय्यद सुफ़यान अहमद नदवी

इंसान की पैदाइश में दो हिस्से मिले हैं, एक जिस्म और दूसरी रूह। दोनों की माँगें अलग-अलग हैं और ज़रूरतें अलग-अलग। यही वजह है कि किसी इंसान के लिए मुमकिन नहीं कि इंसानों के लिए क़ानून बना सके। कोई इंसान या उनकी कोई जमाअत चाहे वह कितने ही बड़े जानकार क्यों न हों, जब भी इंसानों के लिए क़ानून बनाएंगे वह अधूरा और कमी वाला होगा, क्योंकि इंसान ज़िस्म की ज़रूरतों को तो समझ सकता है, मगर क्योंकि रूह की हक़ीक़त को नहीं जानता, इसलिए उसकी ज़रूरतों को भी नहीं जानता है और जब जानता नहीं तो क़ानून भी नहीं बना सकता। क़ानून वही पूरा हो सकता है, जिसमें इंसान के ज़िस्म और रूह दोनों का ख़याल रखा गया हो और ये जानकारी सिर्फ़ उसको है जो रूह का पैदा करने वाला भी और जिस्म का पैदा करने वाला भी और वह ज़ात अल्लाह तआला की है। यहाँ पर सिर्फ़ एक मिसाल दी जा रही है। हमारे कुछ नौजवान सवाल करते हैं कि इस्लाम ने कुछ खाने मना क्यों किये हैं? जबकि अमरीका और यूरोप वग़ैरा में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं। मेडिकल साइंस भी कह रही है कि कोई नुक़सान नहीं और जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी सेहतें भी बहुत अच्छी हैं, जिस्म भी लम्बे-चौड़े हैं, मगर इस्लाम कहता है कि छूना भी नहीं तो इसकी क्या वजह है? इसका जवाब सिर्फ़ यही है कि मेडिकल साइंस ने सिर्फ़ जिस्म की सेहत को देखा कि जिस्म के लिए फ़ायदे वाली है या नहीं, मगर इस्लाम में जिस्म की सेहत भी देखी जाती है और रूह की भी। इसलिए ऐसे खाने जहाँ भी इस्तेमाल होते हैं जो इस्लाम में मना हैं, वहाँ जिस्म की सेहतें तो बहुत अच्छी हैं, मगर रूह की बीमारियाँ और दिल की ख़राबियाँ वहीं सबसे ज़्यादा हैं, यानी जिस्म की सेहत को देखा, मगरये न देख सके कि रूह के लिए भी फ़ायदे वाली है या नहीं।

मेडिकल साइंस के माहिर बताते हैं कि साल में 32-40 दिन भूखा रहना चाहिए ताकि जिस्म के बड़े हिस्सों को आराम मिले और जो ज़हरीला माद्दा जिस्म में भर गया है वह जल जाए, इसलिए साल में कुछ दिन भूखा रहना जिस्म की सेहत के लिए फ़ायदे वाला है। कोई कह सकता है कि अगर इस्लाम में 30 दिन के रोज़े वाजिब हैं तो इस्लाम की कौन सी बड़ी शान है? इसका पहला जवाब ये है कि मेडिकल साइंस ने आज बताया है और इस्लाम चौदह सौ साल पहीले बता चुका है और दूसरी शान ये है कि डाक्टरों ने भूखा रहना बताया है और इस्लाम में भूखा रहना नहीं रोज़ा है। भूखा रहना सिर्फ़ जिस्म की सेहत के लिए है और रोज़ा जिस्म और रूह दोनों को सेहत देता है। यही वजह है कि रोज़ा सिर्फ़ भूका रहने का नाम नहीं और सिर्फ़ पेट का नहीं होता, बल्कि सारे जिस्म के हिस्सों से रोज़ा होना चाहिए। हाथ भी रोज़े से हों, यानी हाथों से वह काम न किया जाए जो शरीअत में मना है। पैर भी रोज़े से हों, यानी उस रास्ते पर न चला जाए जो अल्लाह तआला की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ है। आँखें भी रोज़ेदार हों, यानी उस तरफ़ न देखें, जिसे

इस्लाम ने मना किया है, ज़बान भी रोज़े से हो, यानी ऐसी बात न कहें जो इस्लाम में मना हैं। कानों का भी रोज़ा होना चाहिए, यानी उन बातों को सुनने से बचें जो शरीअत के ख़िलाफ़ हैं। तब होंगे हम पूरी तरह से रोज़ेदार। अगर इसके ख़िलाफ़ किया है तो भूखा रहना होगा रोज़ा नहीं।

हम कहते है रमज़ानुल मुबारक यानी बरकतों वाला महीना। आईये देखें बरकत के क्या माने हैं। आमतौर से किसी चीज़ में बढ़ोत्तरी को हम बरकत कहते हैं। अगर किसी ने दस हज़ार कारोबार में लगाए और वह बढ़कर एक लाख हो गए तो हम कहते हैं कि कारोबार में बरकत हुई, अगर किसी की उम्र माशाअल्लाह सौ साल हो गई तो हम कहते हैं उम्र में बरकत हुई। अगर किसी की एक दर्जन औलादें हो गईं तो हमने कहा कि फ़लाँ के यहाँ औलाद में बड़ी बरकत है तो हम सिर्फ़ बढ़ोत्तरी को बरकत क़रार देते हैं, जब कि सिर्फ़ बढ़ोत्तरी और किसी चीज़ का गिन्ती या नाप में बढ़ जाना बरकत नहीं है, बल्कि अगर बढ़ोत्तरी भलाई और नेकी के साथ है तो बरकत है। अगर कारोबार बढ़ा मगर बेईमानी और धोके से, उम्र में बढ़ोत्तरी हुई मगर पूरी उम्र अल्लाह की नाफ़रमानी में गुज़ारी, औलादें दर्जन भर हो गईं, मगर कोई बदमाश तो कोई जुआरी तो कोई शराबी तो ये सब बढ़ोत्तरी है बरकत नहीं। अगर कारोबार में इज़ाफ़ा हुआ मगर ईमानदारी से, उम्र लम्बी हुई मगर अल्लाह का हुक्म मानने में गुज़री, बच्चे बहुत से हुए मगर मोमिन और नेक हैं तो इसे कहेंगे बरकत।

बरकत ही के बारे में ख़न्दक़ की जंग के मौक़े पर एक दिलचस्प वाक़िआ तारीख़ में लिखा है, जो ख़िदमत में पेश किया जा रहा है। ख़न्दक़ की जंग के ज़माने में मुसलमानों पर खाने पीने की बहुत तंगी थी और खुद रसूल[स०] भूख की तकलीफ़ से बचने के लिए पेट पर पत्थर बांध लेते थे। मशहूर सहाबी हज़रत जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह अंसारी[अ०] ने ये हाल देखा तो रसूल[स०] की ख़िदमत में हाज़िर होकर कहा कि आज आप मेरे घर खाना खाईये। रसूल[स०] ने पूछा कि खाने का क्या इंतिज़ाम है। हज़रत जाबिर[रज़ि०] ने जवाब दिया एक गोसफ़न्द है, जिससे सालन तैयार होगा और तीन सेर आटा है जिससे रोटियाँ तैयार होंगी।

फिर रसूल[स०] ने पूछा ऐ जाबिर मैं अकेला आऊँ या जिसको दिल चाहे ले आऊँ। जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह[रज़ि०] की हिम्मत न हुई कि कहें अकेले ही आइयेगा। कहा आपको इख़्तियार है, जिसे दिल चाहे ले आईये। शाम होते ही जाबिर[अ०] रसूल[स०] की ख़िदमत में पहुँचे कि ऐ अल्लाह के रसूल खाने के लिए तशरीफ़ ले चलिये। अल्लाह के रसूल[स०] ने अनोखा अंदाज़ इख़्तियार फ़रमाया। आप ख़न्दक़ के किनारे पहुँचे और बुलन्द आवाज़ से फ़रमाया सारे मुसलमानो, चलो जाबिर के घर में दावत है, उर्दू के मुहावरे में कहा जाए तो ये हाल देखते ही हज़रत जाबिर के हाथों के तोते उड़ गए, क्योंकि उस वक़्त तक़रीबन एक हज़ार मुसलमान वहाँ मौजूद थे, जो अल्लाह के रसूल[स०] के पीछे जाबिर के घर की तरफ़ चल पड़े। जाबिर दौड़े-दौड़े घर पहुँचे और सारा हाल बीवी से बयान किया, मगर मोमिना औरत के माथे पर बल तक न आया। पूछा ऐ जाबिर इतना बतादो कि क्या तुम ने अल्लाह के रसूल को बता दिया था कि घर में खाने का कितना इंतिज़ाम है। जाबिर ने जवाब दिया हाँ मैंने बतला दिया था तो मोमिना बीवी ने सुकून के साथ कहा कि फिर तो घबराने की कोई बात नहीं। रसूल[स०] ने सब मुसलमानों को जाबिर के घर के बाहर रोक दिया। और खुद अल्लाह के रसूल[स०] हज़रत अली[अ०] को साथ लेकर जाबिर के घर में दाख़िल हुए। फ़रमाया ऐ जाबिर बताओ वह देग कहाँ है जिसमें सालन पक रहा है? जाबिर रसूल[स०] को देग के पास ले गए। रसूल[स०] ने एक नज़र उसमें डाली, जिसमें रोटियाँ पक रही थीं। हुज़ूर[स०] ने हज़रत अली[अ०] के साथ मिलकर एक थाल में रोटियाँ तोड़ना शुरु कीं। जब थाल भर गया तो हज़रत जाबिर[अ०] से कहा इन रोटियों पर सालन डाल दो। फिर दस-दस

शेष... पेज 8 पर

रोज़े के इन्फ़ेरादी और इज्तेमाओी फ़ायदे

क़ाएदे मिल्लत मौलाना सै० कल्बे जवाद नक़वी, जनरल सेक्रेट्री मजलिस उलमा-ए-हिन्द
अनुवादः सैय्यद सुफ़यान अहमद नदवी

(1)

इस हक़ीक़त को सभी जानते हैं कि लोगों से ही समाज बनता है और अगर लोग सही हों तो समाज अपने आप नेक बन सकता है। अब हमें ये देखना है कि लोगों की ख़राबियों की बुनियादी वजह क्या है? जिनके असर से समाज में तबाही और बरबादी और बुराई व फ़साद फैल जाता है। क़ुरआन मजीद के हिसाब से भी, हदीसों की रौशनी में भी और समझदारों और पढ़ेलिखों की बातों की बुनियाद पर भी ये बात साबित है कि किसी शख़्स की ख़राबियों की बुनियादी वजह ख़ुद उसका नफ़्स है। इंसान के नफ़्स की इतनी अहमियत है कि ख़ुदावन्दे आलम ने ग्यारह क़समों के बाद इंसानी क़सम खाई हैः ''सूरज और उसकी रौशनी की क़सम, चाँद की क़सम जब वह उसके पीछे चले और दिन की क़सम जब वह रौशनी बख़्शे और रात की क़सम जब वह उसे ढांप ले और आसमान की क़सम और जिसने उसे बनाया और ज़मीन की क़सम और जिसने उसे बिछाया है और नफ़्स की क़सम और जिसने उसे ठीक किया है।'' (सूरए वश्शम्स) पहले पूरी काएनात की क़सम खाई फिर इंसान के नफ़्स की यानी एक पल्ले में पूरी काएनात है तो दूसरे में इंसान का नफ़्स। इसके बाद क़ुरआन मजीद ने फैसला सुनायाः ''बेशक वह कामयाब हो गया, जिसने नफ़्स को पाक बना लिया और वह नाकाम हो गया, जिसने उसे गंदा कर दिया'' (सूरए वश्शम्स) क़ुरआन मजीद के मेयार के मुताबिक़ कामयाब सिर्फ़ वह है, जिसने अपने नफ़्स को पाक व पाकीज़ा रखा और नामुराद वह है, जिसने अपने नफ़्स को बर्बाद कर दिया। इंसान को जो भी बड़ाईयाँ और बुलन्दियाँ हासिल हैं वह जिस्म और उसकी बनावट की बुनियाद पर नहीं, उसके माद्दे की वजह से नहीं, बल्कि उस जिस्म के क़िले में हुकूमत करने वाले बादशाह नफ़्स की वजह से हैं। अगर हम ने अपने इस नफ़्स से सही तरीक़े से काम लिया तो कामयाब हैं और जिसने नफ़्स की ख़ूबियों को बरबाद कर दिया, वही नाकाम और नामुराद है। क़ुरआन एलान फ़रमा रहा है (मतलब)ः दुनिया के हिसाब से तुम चाहे कितने ही ऊँचे दर्जे पर पहुँच जाओ, जिसमानी हिसाब से चाहे जितने ही आराम से क्यों न हो, तुम्हारे जिस्म की हर तरह की चाहत क्यों न पूरी हो रही हो तो ये हरगिज़ कामयाबी नहीं है। हर बुलन्दी के बाद तुम नीचे ही हो और हर इज़्ज़त के बाद भी ज़लील और हर तमन्ना की मुराद पूरी होने के बाद भी नामुराद हो, बल्कि कामयाब वह है जिसने अपने नफ़्स को अपने कंट्रोल में रखा और उसे गंदा होने से बचा लिया।

इंसान की बड़ाई जिस्म से नहीं, उसकी ज़ाहिर और जिस्मानी ख़ूबसूरती से नहीं, बल्कि नफ़्स और उसकी अंदुरूनी ख़ूबसूरती की वजह से है। अबूलहब बहुत सुर्ख़ व सफ़ेद था। इसी वजह से अबूलहब पुकारा जाने लगा (लहब के माने आग के अंगारे के हैं) रसूल[स०]

का सगा चचा था, हाशमी था, मुत्तलबी था, मगर नफ़्स ख़राब और गंदा था, इसी लिए कुरआन में नाज़िल हुआः ''अबू लहब के हाथ टूट जाएं और वह हलाक हो जाए'' (सूरए लहब)। हज़रत बिलाल काले हैं, हबशी हैं, गुलाम हैं, मगर पहली अज़ान के लिए उन्हें ही चुना गया है। काबे की छत पर गए और इस्लाम की पहली अज़ान दी और मशहूर है कि जब तक अज़ान न देते थे सहर न होती थी। लोगों ने आकर कहा ऐ अल्लाह के रसूल[स०] बिलाल 'शीन' को सही तरह अदा नहीं कर पाते। बजाए 'शीन' के 'सीन' कहते हैं। अल्लाह के रसूल[स०] ने एतेराज़ करने वालों का ये कहकर मुँह बंद कर दिया कि- ''बिलाल का 'सीन' अल्लाह के यहाँ 'शीन' ही है''। मालूम हुआ कि बड़ाई देखने से नहीं होती नियत की पाकीज़गी से होती है।

यही नफ़्स है जो इंसान को गुनाहों पर मजबूर करता है। इसे कुरआन मजीद ने नफ़्से अम्मारा कहा है। अगर ये नफ़्स न होता तो हम भी फ़रिश्ता बन जाते। फ़रिश्तों के यहाँ नफ़्स की चाहतें नहीं होतीं, इसी वजह से वह फ़रिश्ते बने हुए हैं। उनमें गुनाह करने की ताक़त हीं नहीं, उन्हें इबादतों और मानने से कोई ताक़त रोकने वाली ही नहीं, लेकिन इंसान में नफ़्स मौजूद है जो रुकावटें पैदा करता है। इसी वजह से हमारे नमाज़ पढ़ने और जिब्रील के नमाज़ पढ़ने में फ़र्क़ है। एक मोमिन जब सुबह की नमाज़ पढ़ने का इरादा करता है तो कितनी रुकावटें सामने आती हैं, कितनी ताक़तें उसे रोकती हैं, नींद रोकती है, सुबह की ठण्डी-ठण्डी हवा रोकती है, दिन भर की थकावट रोकती है, बिस्तर की आराम देने वाली गर्मी रोकती है, जब इतनी रुकावटों को पार करता है और इतने बंधनों को तोड़ता है तब जाकर कहीं वह सुबह की दो रकात नमाज़ अदा करता है, यानी जब नफ़्स को हरा देता है तब नमाज़ अदा होती है। इसी वजह से इंसान सबसे ऊँची पैदाईश है, क्योंकि ये ज़िद्दी नफ़्स न फ़रिश्तों में है और न जानवरों में। जब इंसान नफ़्स को हरा देता है, तब सब से ऊँची पैदाइश बनता है।

अगर कोई नफ़्स के मुक़ाबले में हार जाए और हारकर उसका गुलाम बन जाए तो दुनिया के सारे दरिन्दे दरिन्दगी में उसका मुक़ाबला नहीं कर सकते। दरिन्दा एक को मारता है, ये पूरी नस्ल को ख़त्म कर देगा। मुल्कों को बरबाद कर देगा। बड़े से बड़े दिखने वाले दुश्मन से मुक़ाबला आसान, मगर ख़ुद अपने नफ़्स से मुक़ाबला करना बहुत मुश्किल है। ज़ौक़ देहलवी का मशहूर शेर हैः

नहंग व अजदहा व शेरे नर मारा तो क्या मारा
बड़े मूज़ी को मारा नफ़्से अम्मारा को गर मारा

रसूल[स०] ने सहाबा से सवाल कियाः बताओ तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? अलग-अलग जवाब मिले। जो हमें क़त्ल करने पर लगा हुआ हो, हमारी ज़मीन पर क़ब्ज़ा कर ले, हम से मकान छीन ले, हमें नुक़सान पहुँचाए। फ़रमाया किसी इंसान को अपना सबसे बड़ा दुश्मन न समझना चाहिए, न किसी जानवर को, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन ख़ुद तुम्हारे साथ है और वह तुम्हारा नफ़्स है। बाहरी दुश्मन तुम्हारा घर जला सकता है, लूट सकता है, बरबाद कर सकता है, मगर तुम्हें जहन्नमी और लानती नहीं बना सकता। इंसान हक़ीक़त में नफ़्स और रूह का नाम है जबकि इंसान सारे इंतिज़ाम अपने जिस्म के लिए करता है। सारी कोशिशें जिस्म की आराम और आसानी के लिए और उसके मज़ों के लिए हैं। अपने को न पहचान कर इंसान ख़ुद अपने ऊपर ज़ुल्म करता है। अगर इंसान सिर्फ़ जिस्म है तो कुछ रुपयों से ज़्यादा उसकी क़ीमत नहीं है। एक जर्मन साइंसदान ने इंसान की कुल क़ीमत बताई 80 मार्क, 6 किलो चूना, 5 किलो लोहा, 2 किलो शकर, थोड़ा सा फ़ासफ़ोरस वग़ैरा। इस महंगाई में भी हिन्दुस्तानी करेंसी में डेढ़ दो हज़ार से ज़्यादा की क़ीमत न होगी। ये है इंसान की माद्दी क़ीमत। मशहूर है कि तैमूरलंग हम्माम में नहा रहा था मालिश और कीसा करने वाले से पूछा बताओ मेरी क्या क़ीमत होगी? उसने कहा सरकार 80

तूमान (ईरान का सिक्का) तैमूर ने कहा बेवकूफ़ 80 तूमान की तो मेरी लुंगी है। कीसा करने वाले ने जवाब दिया, हुज़ूर इसे जोड़ करके ही बता रहा हूँ।

(बशुक्रिया रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा (उर्दू), 12 अगस्त 2011ई०)

(2)

पिछले मज़मून से साबित हुआ कि असल इंसान रूह है न कि जिस्म। साइंसदानों की रिसर्च है कि इंसानी जिस्म अरबों सेल्स (Cells) से मिलकर बने हैं जो मुसलसल बदलते रहते हैं। पुराने सेल्स मुर्दा हो जाते हैं और उनकी जगह नये सेल्स ले लेते हैं। यह अमल बराबर जारी रहता है और साइंसदानों के मुताबिक़ तक़रीबन 10 सालों में इंसान का पूरा जिस्म बदल जाता है। इसका मतलब है कि दस साल पहले जो हमारे हाथ थे आज वह हाथ नहीं रहे। दस साल पहले जो हमारी ज़बान थी वह आज बदल चुकी है। तो अगर इंसान सिर्फ़ जिस्म होता तो जिस्म तो दस साल में बदल चुका है। इसलिए अगर हम ने किसी मुआहदे पर दस साल पहले दस्तख़त किए हैं तो अब हम यह कह सकते हैं कि हमारे यहवह हाथ ही नहीं रहे कि जिनसे मुआहदे पर दस्तख़त किए थे और अगर हम ने दस साल पहले किसी से ज़बानी वादा किया था तो हम कह सकते हैं कि अब वह ज़बान ही नहीं रही, जिस से वादा किया था। अगर हम इंसान को सिर्फ़ जिस्म मानें तो न कोई मुआहेदा ठीक हो होगा और न कोई वादा। वादों और मुआहदों को एतेबार रूह से मिलता है क्योंकि जिस्म बदल जाता है, मगर रूह नहीं बदलती।

जब यह हक़ीक़त साफ़ हो गई कि इंसान जिस्म और रूह से मिलकर बना है तो जिस तरह जिस्म की ज़रूरतें हैं, उसी तरह रूह के लिए भी है। अगर जिस्म के लिए लिबास है तो रूह के लिए भी। जैसे जिस्म बीमार हो जाता है, उसी तरह से रूह भी बीमार हो जाती है। अगर जिस्म के आज़ा हैं तो रूह के भी हैं। जिस्म की ग़िज़ा माद्दी खाने हैं और रूह की ग़िज़ा इल्म है। जिस्म को ग़िज़ाओं से ताक़त मिलती तो रूह को भूके रहने और रोज़े से ताक़त मिलती है। इमाम सादिक़अ० ने फ़रमाया, रूह की ज़िंदगी इल्म है और जाहिलियत मौत है, रूह की बीमारी शक है और उसकी सेहत यक़ीन है। रूह उस वक़्त सो रही होती है जब इंसान ग़फ़लत में हो और ग़फ़लत की गर्द रूह से छंट जाती है तो वह जाग जाती है। जिस्म का लिबास अगर अतलस और हरीर है तो रूह का लिबास तक़वा है इसी तरह से जिस्म की लज़्ज़त अलग है और रूह का मज़ा अलग है बल्कि यूँ कहा जाए कि जिन चीज़ों से रूह को मज़ा मिलता है वह जिस्म के लिए तकलीफ़ पहुँचाने वाली होती हैं और जो चीज़ें जिस्म को आराम और मज़ा देने वाली हैं, वह रूह को बेचैन कर देती हैं। जिस्म का मज़ा ख़ुद खाने में है और रूह का मज़ा दूसरों को खिलाने में है। जिस्म का मज़ा ख़ुद ख़ुशियाँ हासिल करने में है और रूह का मज़ा दूसरों को ख़ुशियाँ बाँटने में है। दूसरों की मदद करने में जिस्म को तकलीफ़ है, मगर रूह को आसानी है। हज़रत अलीअ० अपनी ज़मीन पर काम कर रहे थे, हाथ में कुदाल थी। आप ने कुदाल जो मारी ज़मीन से पानी का फ़व्वारा निकला। अरब में पानी से बड़ी कोई नेमत नहीं। हर तरफ़ ख़ुशी की लहर दौड़ गई। लोग मौला अली को मुबारकबाद देने लगे। ऐ अलीअ० आपकी ज़मीन की क़ीमत कई गुना हो गई। इस हाल में कि मौला के पैर पानी में घुटनों तक डूबे हुए थे, फ़रमाया क़लम-काग़ज़ लाओ। फ़ौरन फ़क़ीरों और मिस्कीनों के नाम अपनी पूरी ज़मीन वक़्फ़ फ़रमा दी। इसका नाम है रूह का मज़ा। जिस्म के मज़े की तलाश जानवरों की ख़ूबी है और रूह के मज़े की तलाश इंसानी ख़ूबी है।

बात को लम्बा न खींचते हुए कहना यह है कि कुछ फ़्लॉस्फ़र इस बात को मानते हैं कि नफ़्स और रूह एक ही चीज़ के दो नाम हैं और कुछ लोगों का कहना है कि दोनों अलग-अलग हैं इन दोनों के बीच हमेशा जंग चलती रहती है। एक अन्दुरूनी जंग (Inner War)

हमारे अंदर चलती रहती है। ख़ुद हमारा वुजूद ही एक जंग का मैदान है, जिसमें नफ़्स और रूह में बराबर झगड़ा चलता रहता है। रूह कहती है ठीक काम करो, नफ़्स कहता है हमें क्या पड़ी है। दूसरे क्यों नहीं कर रहे हैं? एक अंधा आकर सड़क पार करना चाहता है तो उस वक़्त नफ़्स कहता है अगर मदद की तो जिस काम से जा रहे हो, उसमें देर हो जाएगी। सैकड़ों अंधे घूम रहे हैं तुम किस-किस की मदद करोगे? तो नफ़्स रोकता है, मगर जो ताक़त मदद के लिए तैयार करती है वह रूह है। नफ़्स को नेकी पसंद नहीं, रूह को गुनाह पसंद नहीं। इस आपसी जंग का नाम जेहादे अकबर है। मुसलमान लश्कर काफ़िरों से बड़ी लड़ाई जीतकर आ रहा था। रसूल[स०] ने फ़रमाया, तुम एक छोटी जंग से आ रहे हो और एक बड़ी जंग लड़ना है। मुसलमानों ने पूछा कि ऐ अल्लाह के रसूल[स०] क्या बहुत ही ताक़वर दुश्मन हमला करने वाला है? फ़रमाया, वह दुश्मन ख़ुद तुम्हारा नफ़्स है।

क्योंकि समाज में फैलने वाली सारी ख़राबियों और बुराई की जड़ समाज के लोगों का गंदा हो जाना है, इसलिए क़ुरआन मजीद में नबियों के भेजे जाने का मक़सद भी नफ़्स को पाक करना ही बताया गया है। नफ़्स को पाक करने का सबसे अच्छा रास्ता रोज़ा है, क्योंकि दूसरी इबादतों में नियत और इरादे के साथ-साथ अमल भी है मगर रोज़ा सिर्फ़ नफ़्स की इबादत है, जिसमें सिर्फ़ इरादा है और बस। अगर इंसान सही मायने में रोज़ा रखने वाला हो। यानी सिर्फ़ फ़ाक़ा न हो बल्कि मुकम्मल रोज़ेदार हो तो उसे अपने नफ़्स पर पूरी तरह कंट्रोल हो जाता है। सामने तरह-तरह की नेमतें रखी हुई हैं, भूक की सख़्ती भी है, प्यास की तेज़ी भी है, कोई देखने वाला भी नहीं है। राज़ खुलने का ख़तरा भी नहीं, मगर अपने नफ़्सपर कंट्रोल रखता है कि कोई नहीं देख रहा है मगर फिर भी कोई है जो अब भी देख रहा है। जिंसी लज़्ज़तों से मज़ा ले सकता है, मगर जज़्बात के तूफ़ान पर अल्लाह की इताअत का बाँध बंध जाता है। गर्मी से बेहाल है, प्यास से निढाल है, सोचता है नहा लूँ, शायद प्यास की सख़्ती कम हो जाए, पानी में उतर जाता है। दिल चाहता है कि सर को डुबो लूँ ताकि गर्मी का एहसास ख़ुशी में बदल जाए, मगर अपने ऊपर कंट्रोल करता है। कोई सामने गालियाँ दे रहा है, बुरा-भला कह रहा है, दिल चाह रहा है कि ईंट का जवाब पत्थर से दूँ। उसने दस गालियाँ दीं हैं जवाब में सौ दूँ, लेकिन अपनी ज़बान पर क़ाबू रखता है, क्योंकि रोज़े से है। इस तरह धीरे-धीरे उसका नफ़्स बुराईयों से पाक और साफ़ होता चला जाता है। अगर समाज में हर इंसान ऐसा ही हो जाए तो समाज अपने आप जन्नत में बदल जाएगा। सारी ख़राबियों की जड़ इंसान का नफ़्स है। यही नफ़्स जब बेक़ाबू हो जाता है तो समाज में बुराई और ख़राबी की वजह बन जाता है और दुनिया में तबाहियाँ फैलती हैं, नस्ल काटी जाती है। आतंकवाद को बढ़ावा मिलता है और इंसान जनवरों से भी बदतर बन जाता है। यह जाहिल इंसान की नफ़्स की चाहते हैं, जो समाज की तबाही और बरबादी की वजह बनती हैं। रोज़े का बेहतरीन असर यह है कि उन जाहिली चाहतों पर लगाम लगा देता है। रसूल[स०] ने फ़रमाया, ''यह रोज़ा तुम्हारी चाहतों से तुम्हें बचाए रखता है।'' नफ़्स पर कंट्रोल ही का दूसरा नाम तक़वा है और रोज़े का फ़लसफ़ा क़ुरआन मजीद में यही बयान किया गया है, ''ताकि तुम तक़वे वाले बन जाओ'' जब समाज के लोगों में तक़वे की ख़ूबी पैदा हो जाएगी तो फिर न किसी के साथ नाइंसाफ़ी होगी न किसी का हक़ मारा जाएगा, न किसी पर ज़ुल्म और ज़्यादती होगी, बराबरी और इंसाफ़ का पाक और पाकीज़ा माहोल हो जाएगा और यहीं से रोज़े का मौज़ू मेरे मुसलसल मौज़ू इस्लाम और इंसानी हुक़ूक़ से जुड़ जाता है।

(बशुक्रिया रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा (उर्दू), 26 अगस्त 2011[ई०])

(जारी)

मुख्य समाचार

अज़ीमुश्शान इमाममिया इजलास के ज़रिये

हुकूमतों से मजलिस उलमा-ए-हिन्द के मुतालबात

माँगें

6 मई 2012 को आसफ़ी इमामबाड़ा लखनऊ में क़ाएदे मिल्लत मौलाना सै० कल्बे जवाद साहब की क़यादत में अज़ीमुश्शान इमामिया इजलास बउनवान 'शिया महा सम्मेलन' हुआ जिसमें मुल्क भर से कई सौ उलमाए केराम व दानिश्वरान हज़रात के साथ-साथ लखनऊ व लखनऊ के बाहर के तक़रीबन पचास हज़ार मोमिनीन ने शिरकत फ़रमाई। इजलास में मरकज़ी और सूबाई हुकूमत से दर्जज़ेल मुतालबात किये गये।

1- यह सम्मेलन केन्द्र सरकार की निंदा करता है कि वह मुसलमानों को मज़हब के नाम पर बदनाम करने की पॉलीसी को ख़त्म करे तथा अमेरिका और इस्राईल जो पूरी दुनिया में आतंकवाद फैला रहे हैं फिलिस्तीन में बेक़ुसूर मुसलमानों का ख़ून बहा रहे हैं उनसे अपने रिश्तों पर पुर्नविचार करें तथा भारत में इस्राईली दूतावास को बंद किया जाए क्योंकि जब से भारत में इस्राईल दूतावास खोला गया है तब से भारत में आतंकवादी हमलों की एक बाढ़ सी आ गई है।

2- यह सम्मेलन भारत सरकार से माँग करता है कि भारत में दहशतगर्दी के नाम पर मारे जाने वाले मुसलमान नौजवानों को फंसाकर उनके भविष्य से खिलवाड़ बंद किया जाए और जल्द ही जेलों में बंद बेक़सूर मुस्लिम नौजवानों जिन्हें आतंकवाद के नाम पर क़ैद किया गया है के साथ-साथ पत्रकार मोहम्मद अहमद काज़मी को भी रिहा किया जाए जिन्हें इस्राईली दूतावास पर हुए हमले में झूठे इलज़ाम में फंसाकर जेल भेज दिया गया है।

3- भारत सरकार फिलिस्तीन, ईरान और सीरिया से अपने राजनैतिक सम्बन्ध ठीक करे।

4- यह सम्मेलन ऐसे मुस्लिम देशों की निंदा करता है जो अमेरिका और इस्राईल के हाथों की कठपुतली बनकर दुनिया में फैले हुए मुसलमानों के पतन की वजह बन रहे हैं जबकि मुस्लिम देशों को चाहिए कि वह एकता का सबक़ सीखें जो उन्हें क़ुरआन में दिया गया है और सीरिया, लेबनान व ईरान की तरह इस्राईल और अमेरिका का मुक़ाबला करें और इन देशों से अपने व्यापारिक सम्बन्ध ख़त्म करें।

5- यह सम्मेलन क़ुरआन की बेहुरमती की भर्तसना करता है क्योंकि हाल में जिस तरह इस मुक़द्दस धार्मिक किताब को जलाया गया उसकी जितनी भी निंदा की जाय कम है इसी के साथ सम्मेलन सऊदी बादशाहों की सख़्त निंदा करता है जो क़ुरआन में अल्लाह के इस फ़रमान के बावजूद कि ''यहूदी और नसारा राहे-रास्त पर आने वाले नहीं हैं और यह इस्लाम के सख़्त दुश्मन हैं'' उनके हाथों की कठपुतली बने हैं।

6- यह सम्मेलन केन्द्र सरकार से माँग करता है कि वह हुकूमत सऊदी अरब और संयुक्त राष्ट्र में भी जन्नतुल बक़ी का मामला उठाए क्योंकि दुनिया में फैले हुए करोड़ों मुसलमानों की भावनाएं इस मज़ारे पाक से जुड़ी हुई हैं जहाँ रसूल[स०] की बेटी और उनके बेटों के मज़ार मौजूद हैं।

उ० प्र० सरकार से माँग

7- यह सम्मेलन माँग करता है कि उर्दू को दूसरी सरकारी ज़बान का बाक़ाएदा दर्जा दिये जाने के लिए उर्दू को बेसिक शिक्षा से जोड़ा जाए उर्दू मीडियम स्कूल खोलने के साथ ही साथ कम से कम 8वीं कक्षा तक उर्दू ज़बान को अनिवार्य किया जाए। उर्दू को रोटी-रोज़ी से जोड़ने के लिए स०पा० की पिछली सरकार की तरह उर्दू अनुवादकों और उर्दू अध्यापकों की भर्ती की जाए तथा उर्दू अख़बारों के विज्ञापन बजट में भी वृद्धि की जाए।

8- यह सम्मेलन माँग करता है कि ज़री का काम करने वाले और चिकन व कामदानी बनाने वाले को बुनकरों जैसी सुविधाएं दी जाएं तथा एक मज़बूत नीति बनाकर प्रदेश में फैले हुए इन लाखों कारीगरों के भविष्य को बेहतर बनाने और बुढ़ापे में इन्हें दुर्दशा से बचाने के लिए इनको फ़ण्ड और पेंशन दिये जाने का इन्तिज़ाम किया जाए।

9- यह सम्मेलन उत्तर प्रदेश सरकार से माँग करता है कि अगामी मंत्री मंडल विस्तार में शिया समुदाय से कैबिनेट मंत्री बनाया जाए तथा कमसे कम दो व्यक्तियों को राज्यमंत्री भी बनाया जाए।

10- यह सम्मेलन माँग करता है कि शिया समुदाय से एक एम०एल०सी० नामित किया जाए तथा ईसाईयों की तरह रायल फ़ैमिली ऑफ़ अवध के वंशों में से एम०एल०सी० नामित किया जाए जिस तरह ईसाई समुदाय की तादाद इतनी नहीं है कि वह चुनाव लड़कर अपनी कम्यूनिटी का प्रतिनिधित्व कर सकें उसी तरह अवध ा के बादशाहों के वंशजों के प्रतिनिधित्व के लिए नामित किया जाना चाहिए।

11- यह सम्मेलन माँग करता है कि सरकारी निगमों के चेयरमैन और अध्यक्षों में भी शिया समुदाय का प्रतिनिधित्व होना चाहिए।

12- सम्मेलन माँग करता है कि शिया मदारिस को आबादी के हिसाब से ग्रांट पर लिया जाए और जितने मुस्लिम मदरसे ग्रांट पर लिये गए हैं उनमें से 30 प्रतिशत मदरसे शिया समुदाय के होना चाहिएं जिन्हें ग्रांट पर लिया जाए।

13- यह सम्मेलन माँग करता है कि हुकूमत से यह भी माँग

की जाए कि उर्दू अकादमी, मदरसा बोर्ड, हज समिति तथा सरकारी वकीलों की नियुक्ति के अलावा जहाँ भी मुस्लिम समुदाय से लोग नामित किये जाएं वहाँ हमारी आबादी के अनुपात के हिसाब से लगभग 20 प्रतिशत लोग शिया समुदाय से भी नामित किये जाएं।

14- यह सम्मेलन उत्तर प्रदेश सरकार से माँग करता है कि फ़ौरन शिया वक़्फ़ बोर्ड को भंग किया जाए तथा वहाँ एडमिनिस्ट्रेटर/कंट्रोलर बिठाया जाए तथा जल्द ही ईमानदार छवि के ग़ैर सियासी लोगों पर आधारित नये बोर्ड का गठन किया जाए।

15- शिया वक़्फ़ बोर्ड के पिछले दस सालों की सी०बी०आई० जाँच या फिर उच्च स्तरीय जाँव कमेटी बनाकर जाँच कराई जाए।

16- यह सम्मेलन माँग करता है कि शिया पोस्ट ग्रेजुएट कालेज में रिसीवर बिठाकर वहाँ भ्रष्टाचार की उच्च स्तरीय जाँच समिति बनाकर जाँच कराई जाए।

प्रस्ताव

देश भर के करोड़ों शिया मुसलमानों की भावनाओं का सम्मान करते हुए यह सम्मेलन निम्न प्रस्ताव पारित करता है तथा यहाँ आने वाले सभी धर्मगुरुओं, मातमी अंजुमनों, संस्थानों, समाज सेवी संगठनों और तमाम शिरकत करने वाले ख़वातीन व हज़रात का इस्तेक़बाल करता है।

1- यह सम्मेलन प्रमुख शिया धर्म गुरु क़ाएदे मिल्लत मौलाना सै० कल्बे जवाद नक़वी व दीगर उलमाए केराम पर पूर्व की तरह पूर्ण विश्वास व्यक्त करते हुए उन्हें ही सम्पूर्ण भारत में फैले हुए शिया समुदाय की अगुवाई (क़यादत) करते रहने के लिए अपील करता है।

2- यह सम्मेलन देश के दूसरे शिया धर्मगुरुओं से भी अपील करता है कि वह मौलाना कल्बे जवाद व उनके शाना-बशाना रहने वाले दीगर उलमाए केराम द्वारा शिया समुदाय के लिए किये जाने वाले संघर्ष में उनका खुले दिल से साथ दें तथा क़ौम के लिए लड़ी जाने वाली लड़ाई में मौलाना के कंधे से कंधा मिलाकर चलें।

3- यह सम्मेलन पूर्व में जुलूसहाए अज़ा की बहाली के लिए लड़ी जाने वाली लड़ाई, और औक़ाफ़ बचाओ तहरीक, वक़्फ़ सज्जादिया, वक़्फ़ इमामबाड़ा सिब्तैनाबाद को नाजाएज़ क़ब्ज़ों से मुक्त कराकर शिया अवाम को सौंपे जाने जैसी कामयाबियों को हासिल करने के बाद हुकूमत उत्तर प्रदेश से हज़रत अली के जन्म दिवस के अवसर पर (13 रजब) व जुमअतुल विदा को दी जाने वाली छुट्टी वग़ैरह कामों को ध्यान में रखते हुए। क़ाएदे मिल्लत मौलाना कल्बे जवाद से अपील करता है कि वह पहले की तरह क़ौम की अगुवाई करते रहें क्योंकि पूरी दुनिया में फैले हुए शिया समुदाय के लोग उन्हें इज़्ज़त की निगाह से देखते रहे हैं।

4- शिया वक़्फ़ बोर्ड शिया समुदाय का बेशक़ीमती सरमाया है यह सम्मेलन शिया औक़ाफ़ को बचाने के लिए मौलाना सै० कल्बे जवाद नक़वी व दीगर उलमाए केराम से अपील करता है कि वह इसके लिए तहरीक चलाएं ताकि भ्रष्टाचार में डूबे हुए वक़्फ़ बोर्ड को बचाया जा सके। सम्मेलन मौजूदा हालात पर प्रस्ताव पारित करता है कि शिया वक़्फ़ बोर्ड का चेयरमैन मज़हबी धर्मगुरु हो, सम्मेलन यह प्रस्ताव भी करता है कि शिया वक़्फ़ बोर्ड में सी०ई०ओ० नियुक्ति किया जाए और शिया वक़्फ़ बोर्ड को भी सुन्नी वक़्फ़ बोर्ड की तर्ज़ पर फ़ौरन कम्प्युटराइज़्ड किया जाए। सम्मेलन इस बात की निंदा करता है कि सरकार से पैसा मिलने के बावजूद शिया वक़्फ़ बोर्ड को कम्प्युटराइज़्ड नहीं किया गया है।

5- यह सम्मेलन यह प्रस्ताव भी करता है कि हुकूमत से मुतालबा किया जाए कि फ़ौरन शिया वक़्फ़ बोर्ड को भंग करके एडमिनिस्ट्रेटर/कंट्रोलर बिठा दिया जाए और पिछले 10 सालों की बोर्ड की सी०बी०आई० द्वारा या किसी न्यायधीश से कमीशन बनाकर जाँच करायी जाए।

6- शिया कालेज भी इस समुदाय का अज़ीम सरमाया है, सम्मेलन प्रस्ताव परित करता है कि शिया कालेज में रिसीवर बिठाकर वहाँ के भ्रष्टाचारों की भी जाँच होना चाहिए।

7- सम्मेलन ऐसे सभी धर्मगुरुओं की निंदा करता है जो सरकार और ज़िला प्रशासन की वाहवाही के लिए शिया समुदाय की क़ीमती ज़मीनों व इमामबाड़ों और मज़हबी सम्पत्तियों को बरबाद होते ख़ामोशी से देख रहे हैं। सम्मेलन उन्हें इमामे ज़माना का वास्ता देकर अपील करता है कि वह अपने छोटे-छोटे फ़ाएदे के लिए क़ौम के बड़े मिशन को नुक़सान न पहुँचाए। यह सम्मेलन ऐसे धर्मगुरुओं की निंदा करता है कि जो शिया समुदाय के नाम पर अपने ज़ाती मफ़ाद के लिए क़ौम का सौदा करते हैं तथा हुकूमतों पर दबाव बनाकर क़ौम को बदनाम कर रहे हैं।

8- सम्मेलन प्रस्ताव करता है कि हुकूमत से माँग की जाए कि वह उत्तर प्रदेश के काबीना मंत्रीमंडल में शिया समुदाय से भी एक कैबिनेट मंत्री बनाये तथा राज्य मंत्री के अलावा निगमों में अध्यक्ष और चेयरमैन नामित करे।

9- यह सम्मेलन प्रस्ताव पारित करता है कि हुकूमत से यह भी माँग की जाए कि उर्दू अकादमी, मदरसा बोर्ड, हज समिति तथा सरकारी वकीलों की नियुक्ति के अलावा जहाँ भी मुस्लिम समुदाय से लोग नामित किये जाएं वहाँ हमारी आबादी के अनुपात के हिसाब से लगभग 20 प्रतिशत लोग शिया समुदाय से भी नामित किये जाएं।

10- यह सम्मेलन क़ाएदे मिल्लत मौलाना सै० कल्बे जवाद नक़वी जैसे बाकिरदार साफ़ और शफ़्फ़ाफ़ बेदाग़ छवि वाले आलिमे दीन की छवि को धूमिल करने की कोशिश करने वालों की कड़े शब्दों में निंदा करता है तथा शिया समुदाय से अपील करता है कि जो लोग भी मौलाना पर ग़लत इल्ज़ाम लगाकर उनके प्रति लोगों में गुमराही फैलाने की कोशिश कर रहे हैं उन लोगों का समाजी बाईकाट किया जाए क्योंकि मौलाना ने अपनी पूरी ज़िंदगी शिया क़ौम पर निछावर कर दी यहाँ तक कि जुलूसहाए अज़ा की बहाली के लिए चलाई गई तहरीक के वक़्त इतना मसरूफ़ हो गये थे कि अपनी बेटी की बीमारी व मौत के वक़्त भी बेटी की ख़िदमत न कर सके और सिर्फ़ हिन्दुस्तान भर में वही एक ऐसे शिया धर्मगुरु हैं जिन पर क़ौम की ख़ातिर लातादाद मुक़द्दमे दर्ज हुए और उन्हें क़ौम की ख़ातिर कई बार जेल भी जाना पड़ा जब हुकूमतें उन्हें डराने धमकाने में नाकाम रहीं तो फिर हमारे ही बीच कुछ ग़द्दारों का इस्तेमाल करके मौलाना की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है।

मिनजानिब मजलिस उलमा-ए-हिंद, लखनऊ